



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
(युगल न्यायपीठ)

उपस्थित: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा।
माननीय न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायमूर्ति।

दांडिक अपील क्रमांक 494/2005

अपीलार्थी

देवनारायण @ देवलाल

बनाम

प्रत्यर्थी

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पुलिस थाना- बैकुंठपुर,
जिला- कोरिया।



निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत।

सही/-
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश
16.09.2011

माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश
16.09.2011

16.09.2011 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश
16.09.2011



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
(युगल न्यायपीठ)

उपस्थित: माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायमूर्ति।
माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायमूर्ति।

दांडिक अपील क्रमांक 494/ 2005

अपीलार्थी
(जेल में)

देवनारायण @ देवलाल पुत्र इततार साय, उम्र लगभग 41 वर्ष,
ग्राम- केटका, थाना - मचदोली वर्तमान में ग्राम बड़ेसाल्ही,
थाना- खंडगवा, बैकुंठपुर, जिला: कोरिया - (छ.ग.)

प्रत्यर्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना: बैकुंठपुर, जिला- कोरिया- (छ.ग.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)

उपस्थित: श्री अभय तिवारी, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री जे.ए. लोहानी, शासकीय अधिवक्ता राज्य/प्रत्यर्थी हेतु।

आदेश

(16 सितम्बर, 2011 को प्रदत्त)

रंगनाथ चंद्राकर न्यायाधीश, के अनुसार

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत यह दांडिक अपील सत्र विचारण क्रमांक 449/2004 में दिनांक 12-5-2005 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैकुंठपुर, जिला कोरिया ने अपीलार्थी को अपनी पत्नी धनमत बाई की हत्या करने और दांडिक मामले के साक्ष्य छिपाने का दोषी पाते हुए, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत



दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास तथा 1000 रुपये के प्रमाण से दण्डित किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे क्रमशः छह महीने और एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। यह निर्देशित करना सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला यह है कि मृतिका धनमत बाई अपीलार्थी की पत्नी थी। वह अपने पति अपीलार्थी के साथ गोविंदपुर गांव में सोमरसाय (अ.सा.-9) के घर में रहती थी। मृतिका धनमत बाई सोमरसाय (अ.सा.-9) की चचेरी बहन थी। मृतिका के पिता रामेश्वर (अ.सा.-10) भी गोविंदपुर गांव में अलग रहते थे। 23-11-2003 को आरोपी/अपीलार्थी और उसकी पत्नी धनमत बाई सुबह 8:00 बजे बैकुंठपुर बाजार गए, उसके बाद वे बाजार से अपने घर नहीं लौटे। दिनांक 29-11-2003 को राजाराम (अ.सा.-7) ने "गडागुडा नाले" के पास अपने खेत में एक महिला का शव देखा और घटना की सूचना ग्रामीणों को दी। इसके बाद, हीरा सिंह (अ.सा.-1) और नारायण सिंह (अ.सा.-8) मौके पर गए और उन्होंने भी शव देखा।

3. नारायण सिंह (अ.सा.-8) बैकुंठपुर पुलिस स्टेशन गए और (प्रदर्श-पी/12) के तहत मर्ग की सूचना दर्ज कराई, जिसे लव कुमार पांडे (अ.सा.-17) ने 29-11-2003 को अपराध क्रमांक 67/2003 के रूप में दर्ज किया। EXपी/3 के तहत गवाहों को तलब करने के बाद, मृतिका के शव का पोस्टमार्टम किया गया (प्रदर्श-पी/4)। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए बैकुंठपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अनुरोध भेजा गया, जहां से डॉक्टर डी.के. चिकनजुरी (अ.सा.-14) डॉक्टर नीलम तिर्की के साथ आए और मौके पर ही पोस्टमार्टम किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/17) दी और शव को निम्नलिखित स्थिति में पाया।

- i) शव जमीन पर सीधा पड़ा हुआ था और सड़ने की अवस्था में था;



- ii) कोई वस्त्र मौजूद नहीं, शरीर के नीचे धंसे होने के कारण सिर दिखाई नहीं दे रहा, कंकाल बन चुका था और कोई अंग शेष नहीं था, निचला जबड़ा पूरी तरह से अलग हो गया था। दाढ़ को छोड़कर सभी दांत गायब थे।
- iii) छाती की आधी पसलियां, हृदय, फेफड़े, यकृत और प्लीहा नष्ट हो गए।
- iv) स्तन और पेरिनियल क्षेत्र का काला पड़ना और निचले और ऊपरी अंगों पर त्वचा और मांसपेशियों का क्षय होना।
- v) दाहिनी ओर का पैर का अंगूठा (मेटाटार्सल हड्डी टूटी हुई) सही सलामत है, जबकि बाईं ओर का पैर का अंगूठा (जो अभी तक खोया नहीं है) सही सलामत है। शरीर पर एक कीड़े पड़ गये है, सिवाय एक रेखीय आकृति के, पेटीकोट का एक टुकड़ा फटा हुआ है और कमर के चारों ओर लिपटा हुआ है।

Internal:

- i) शरीर, छाती, सिर और गर्दन पर कंकालीकृत। खोपड़ी की हड्डी पूरी तरह से कंकालीकृत, मस्तिष्क का कोई भाग अलग नहीं; निचला जबड़ा अलग।
- ii) हंसली की हड्डी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और चिपकी हुई है।
- iii) हंसली की अग्र पसलियां अलग हो गई हैं और टूट गई हैं।
- iv) ऊपरी और निचले अंग। मांसपेशियों का क्षय, ऊपरी अंगों पर चूड़ियाँ और निचले अंगों पर टैटू मौजूद होना तथा टखने की हड्डी





का क्षय।

- v) कमर के चारों ओर बंधी पेटीकोट के स्तन के पेरिनियम पर कालापन। धोने के बाद लाल रंग का धागा और पदार्थ मौजूद है;
- vi) पेरिनियम क्षेत्र काला पड़ गया है और उसमें कीड़े पड़ गये हैं। डॉक्टर ने राय दी कि मृत्यु का कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट था और इसकी प्रकृति मानववध थी।

4. घटनास्थल के नक्शे (प्रदर्श-पी/9 और प्रदर्श-पी/10) के द्वारा तैयार किए गए। मृतिका की आधी जली हुई ब्लाउज और साड़ी घटनास्थल से (प्रदर्श-पी/1 और प्रदर्श-पी/2) द्वारा जप्त की गयी। सूचना (प्रदर्श-पी/12) के आधार पर, विवेचक अधिकारी आई. तिर्की (अ.सा.-6) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/12) द्वारा दर्ज की गई। विवेचना के दौरान, आरोपी/अपीलार्थी को दिनांक 16-8-2004 को (प्रदर्श-पी/20) के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसने (प्रदर्श-पी/14) के द्वारा एक प्लास्टिक की बोतल में 30 ग्राम केरोसिन तेल होने का प्रकरीकथा कथन किया। अपीलार्थी की निशानदेही पर इसे (प्रदर्श-पी/8) के द्वारा जब्त किया गया। अपीलार्थी के कपड़े (प्रदर्श-पी/15) के द्वारा जब्त किए गए। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए (प्रदर्श-पी/18) के द्वारा एफएसएल, रायपुर भेजा गया, लेकिन इसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।
5. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए गए। विवेचना पूरी होने के बाद, बैकुंठपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैकुंठपुर की न्यायालय में अपीलार्थी के खिलाफ अभियोग-पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश बैकुंठपुर के न्यायालय को उपार्पित कर दिया और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैकुंठपुर ने अंतरण पर इसे प्राप्त किया, जिन्होंने अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की



धारा 302 और 201 के तहत आरोप तय किए, जिसमें अपने निर्दोष होने का अभिवाक किया।

6. अपीलार्थी के दोष सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सत्रह गवाहों का परीक्षण कराया। अभियुक्त का परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत किया गया, जहाँ उसने अपने विरुद्ध लगे आरोपों से इनकार किया और अपनी निर्दोषता और झूठे फँसाए जाने का अभिवाक किया। हालाँकि, उसने अपने बचाव में कभी गवाह क परीक्षण नहीं कराया।
7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया और दण्डित किया।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के साथ-साथ आक्षेपित निर्णय का भी अवलोकन किया।

9. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अभय तिवारी ने पुरजोर तर्क दिया कि मामला अंतिम बार साथ देखे जाने के परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

रामकुशल (अ.सा.-2) और हरि ओम (अ.सा.-74) इस तथ्य के गवाह हैं, लेकिन रामकुशल (अ.सा.-2) पक्षद्रोही हो गए और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि मार्ग की सूचना (प्रदर्श-पी/12) नारायण सिंह (अ.सा.-8) द्वारा दर्ज कराई गई थी, लेकिन मार्ग की सूचना लिखने वाले लव कुमार पांडे (अ.सा.-17) ने कहा कि मृतिका का नाम अज्ञात व्यक्ति के रूप में दर्ज किया गया था और उन्हें नहीं पता कि (प्रदर्श-पी/12) में धनमत बाई का नाम बाद में कैसे जोड़ा गया। इस प्रकार, मार्ग की सूचना संदिग्ध हो जाती है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्यों से अंतिम बार साथ देखे जाने के सिद्धांत को साबित करने में विफल रहा है। अपीलार्थी के विद्वान



अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि मृतिका के शव की पहचान भी परिजनों द्वारा ठीक से नहीं की गई थी और इस मामले में गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं थी। इसलिए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को केवल 'अंतिम बार देखे जाने' जैसे कमजोर परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराना और दण्डित करना उचित नहीं था। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अपीलार्थी ने मृतिका धनमत बाई क मानववध कारित किया है।

10. इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी ने निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि अपीलार्थीओं की दोषसिद्धि रामकुशल (अ.सा.-2), हरि ओम (अ.सा.-4) और नारायण सिंह (अ.सा.-8) के साक्ष्यों पर आधारित है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराते हुए उचित समय से दण्डित किया है।
11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को समझने के लिए, हमने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच की है।

12. यह मामला शव की पहचान, अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आधारित है। शव की पहचान के संबंध में, मृतिका के चचेरे भाई गवाह क्रमांक 9 सोमरसाय , मृतिका के पिता गवाह क्रमांक 10 रामेश्वर और मृतिका की माता गवाह क्रमांक 11 मंगली बाई ने शव की पहचान की थी। गवाह क्रमांक 9 सोमरसाय ने अपने बयान में कहा कि धीर सिंह और पंचम बाई द्वारा सूचित किए जाने पर वे शव को देखने के लिए गडागुड़ा (गडाबुड़ा) जंगल गए और उनके कपड़ों के आधार पर उनकी पहचान धनमत बाई के रूप में की। प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि शव की पहचान से एक दिन पहले रामेश्वर (अ.सा.-10) और मंगली बाई (अ.सा.-11) शव को देखने के लिए जंगल गए थे, लेकिन वे शव की पहचान नहीं कर सके क्योंकि शव



कंकाल के रूप में था और उसमें मांस नहीं था। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि शव के ऊपर मिले कपड़े लाल रंग के थे और गाँव में कई लोग उन्हें पहनते थे। उसने मृतिका धनमत बाई को अपीलार्थी के साथ बाजार जाते हुए नहीं देखा था और शव अपीलार्थी के साथ घर छोड़ने के आठ दिन बाद बरामद हुआ था। इसलिए, शव की पहचान के संबंध में इस गवाह की गवाही संदिग्ध है क्योंकि उसने शव की पहचान केवल मृतिका के कपड़ों के आधार पर की है, जो आम तौर पर आम लोगों द्वारा पहने जाते हैं।

13. मृतिका के पिता, रामेश्वर (अ.सा.-10) ने गवाही दी कि उनकी बेटी (मृतिका) अपीलार्थी के साथ सोमरसाय (अ.सा.-9) के घर में रहती थी। पहचान से आठ दिन पहले सोमरसाय (अ.सा.-9) ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी अपीलार्थी के साथ बाजार गई थी और उसके बाद उनकी बेटी का शव गडागुडा जंगल में मिला। वे शव देखने गए और उसे लगभग नग्न अवस्था में पाया। कमर पर कुछ कपड़े थे। उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के आधार पर शव की पहचान की। प्रतिपरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि शव के सिर, कान और ठोड़ी पर बाल नहीं थे और कुछ जगहों पर मांस था। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जिस दिन उनकी बेटी अपीलार्थी के साथ घर से निकली थी, उस दिन न तो वे उनसे मिले थे और न ही उन्होंने देखा था कि उनकी बेटी ने क्या पहना था। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पहचान से एक दिन पहले जब वे शव देखने गए तो उसकी पहचान नहीं कर पाए। इस गवाह ने स्वयं कहा कि वह उस दिन नहीं गया था, बल्कि उसकी पत्नी (मंगली बाई-अ.सा.-11) और सोमर साई (अ.सा.-9) शव देखने गए थे, जो उसकी पहचान नहीं कर पाए।
14. पहचान की दूसरी गवाह मंगली बाई (अ.सा.-11) हैं, जो मृतिका की माता हैं। उन्होंने भी शव की पहचान कपड़ों और गोदना (टैटू) के आधार पर करने का दावा किया,





जबकि प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्वीकार किया कि शव पर मिले कपड़े गांव की कई महिलाओं द्वारा पहने जाते थे और वैसा ही गोदना चिह्न उनकी जाति की महिलाओं के शरीर पर आम था। इसके अलावा, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पहचान से एक दिन पहले जब वे शव देखने गए थे, तो वे उसकी पहचान नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपनी बेटी को अपीलार्थी के साथ बाजार जाते हुए नहीं देखा था और इन आठ दिनों की अवधि में उनकी बेटी और अपीलार्थी के बारे में सोमरसाय (अ.सा.-9) से कोई बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शव केवल कंकाल था और कुछ स्थानों पर मांस था।

15. उपरोक्त गवाहों के बयानों की बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि शव की पहचान धनमत बाई के रूप में केवल उसके द्वारा पहने गए वस्त्रों के आधार पर की गई थी, जो गांव की अन्य महिलाओं द्वारा आमतौर पर पहने जाते हैं, और उसके हाथ पर बने टैटू (गोदना) के आधार पर, जो मृत्तिका की जाति की महिलाओं में आम है। यह स्वीकृत तथ्य है कि शव केवल कंकाल था जिसकी पहचान नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा, मृत्तिका के गुम होने की कोई रिपोर्ट नहीं थी जिसमें उम्र, रंग, कद, शारीरिक बनावट और पहनावे का विवरण दिया गया हो, जो शव बरामद होने के बाद पहचान में सहायक होता। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उपर्युक्त गवाहों में से किसी ने भी मृत्तिका को अपीलार्थी के साथ बाजार जाते हुए नहीं देखा था, इसलिए उनके पहनावे के आधार पर उनकी पहचान संदिग्ध है और असंगत हो जाती है। उपर्युक्त गवाहों के बयानों की पुष्टि करते हुए, (अ.सा.-8) नारायण सिंह, जिन्होंने मर्ग की सूचना (प्रदर्श-12) दर्ज कराई थी, ने भी कहा कि शव केवल कंकाल था। उपरोक्त के मद्देनजर, यह नहीं माना जा सकता कि शव की सही पहचान हुई थी और वह मृत्तिका का ही था।





16. दूसरा पहलू 'आखिरी बार साथ देखे जाने' का सिद्धांत है। इस संबंध में रामकुशल (अ.सा.-2) और हरि ओम (अ.सा.-4) की गवाही ली गई। रामकुशल (अ.सा.-2) पक्षद्रोही हो गया और उसने भ्रामक प्रश्न पूछे, जिनमें उसने स्वीकार किया कि अपीलार्थी की पत्नी का शव बैकुंठपुर बाजार के एक सप्ताह बाद बरामद हुआ था, जब वे उसकी दुकान पर आए थे। इसके अलावा, उसने अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए लगभग सभी सुझावों को नकार दिया। अंत में, अपनी प्रतिपरीक्षण में, पैरा 7 में, उसने अपीलार्थी की पहचान करने से भी इनकार कर दिया। हरि ओम (अ.सा.-4) के साक्ष्य के अनुसार, घटना से पहले, जब वह अपने मवेशियों को चरा रहा था, उसने शाम को सूर्यास्त के समय 100-150 फीट की दूरी से अपीलार्थी और उसकी पत्नी को बैकुंठपुर बाजार से लौटते हुए देखा था, और घटना के 15 दिन बाद उसे पता चला कि गडागुड़ा नाले में एक महिला का शव मिला है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी अपीलार्थी से कोई बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने अपीलार्थी के साथ आई महिला की पहचान नहीं की थी और अनुमान के आधार पर उसे अपीलार्थी की पत्नी बताया था। महिला ने साड़ी और ब्लाउज पहना हुआ था, लेकिन वे उसके शरीर और कद-काठी के बारे में कुछ नहीं बता सके। वे उस दिन अपीलार्थी द्वारा पहने गए कपड़ों का भी वर्णन नहीं कर सके। उपरोक्त गवाह पिता और पुत्र हैं और उन्होंने एक-दूसरे के बयानों की पुष्टि नहीं की है। रामकुशल (अ.सा.-2) ने अपीलार्थी और उसकी पत्नी की पहचान करने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है और साथ ही (प्रदर्श-6) (ए से ए तक चिह्नित) के बयान से भी इनकार किया है, जबकि हरि ओम (अ.सा.-4), जो रामकुशल का पुत्र (अ.सा.-2) है, ने अपीलार्थी और मृत्तिका को 100-150 फीट की दूरी से देखने की बात स्वीकार की है, लेकिन पहचान पर संदेह जताते हुए कहा कि उसने अपीलार्थी के साथ मौजूद महिला की पहचान नहीं की और





अनुमान के आधार पर उस महिला को अपीलार्थी की पत्नी बताया। इस प्रकार, उपरोक्त परिस्थितियों से, साथ में अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत के संबंध में कोई विश्वसनीय और ठोस सबूत नहीं है, इसलिए यह अपनी विश्वसनीयता और महत्व खो देता है। इसके अलावा, शव बरामदगी की तारीख और अपीलार्थी को मृतिका के साथ अंतिम बार देखे जाने की तारीख के बीच आठ दिनों का समय अंतराल है।

17. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का अपराध सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अंतिम बार देखे जाने और हत्या के बीच का समय अंतराल इतना निकट और करीबी है कि अभियुक्त की निर्दोषता का कोई निष्कर्ष निकालने की कोई संभावना नहीं है और मृतिका से इस बीच किसी अन्य व्यक्ति के मिलने की कोई संभावना नहीं है। अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है, जिसके लिए अभियुक्त के अपराध के संबंध में किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्टि की आवश्यकता होती है। "एक साथ देखा जाना" और "अंतिम बार एक साथ देखा जाना" में अंतर है, इसलिए अभियोजन पक्ष को ठोस और पुख्ता साक्ष्य द्वारा यह साबित करना होगा कि मृतिका की मृत्यु और अंतिम बार देखे जाने के बीच का समय अंतराल निकट और करीबी था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बोधराज उर्फ बोधा और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, 2002 (8) एससीसी 45** में उल्लिखित मामले में यह माना गया कि अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तब लागू होता है जब आरोपी और मृतिका को अंतिम बार एक साथ जीवित देखे जाने और मृतिका के मृत पाए जाने के बीच का समय अंतराल इतना कम हो कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध करने की संभावना नगण्य हो जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में दोष सिद्ध करना जोखिमपूर्ण होगा जहां यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई अन्य पुख्ता सबूत न





हो कि आरोपी और मृतिका को अंतिम बार एक साथ देखा गया था। इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुभाष चंद बनाम राजस्थान राज्य, 2002 (1) एससीसी 702** में उल्लिखित मामले में कहा कि अंतिम बार एक साथ देखे जाने की तारीख और समय घटना की तारीख और समय के आसपास होना चाहिए। केवल अंतिम बार देखे जाने के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

18. गवाह क्रमांक 8 नारायण सिंह ने बयान दिया है कि धीर सिंह द्वारा राजाराम (अ.सा.-7) के खेत में एक महिला का शव पड़े होने की सूचना मिलने पर, वह मौके पर गए और महिला का शव देखकर बैकुंठपुर पुलिस थाने गए और मर्ग की सूचना (प्रदर्श-12) दर्ज कराई। शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए पुलिस अगले दिन डॉक्टरों को मौके पर ले गई। शव कंकाल के रूप में था और उस पर मांस नहीं दिख रहा था। उन्होंने आगे कहा कि मर्ग सूचना (प्रदर्श-पी/12) में "सी टू सी" में धनमत बाई का नाम बाद में जोड़ा गया था, जो उनके द्वारा नहीं लिखा गया था। वे यह बताने में असमर्थ थे कि मर्ग सूचना (प्रदर्श-पी/12) में धनमत बाई का नाम किसने जोड़ा था। इस प्रकार, उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि नारायण सिंह (अ.सा.-8) द्वारा मृतिका का नाम प्रकट नहीं किया गया था। मर्ग की सूचना का मूल्यांकन करते समय यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह लव कुमार पांडे (अ.सा.-17) द्वारा लिखी गई थी, लेकिन अगले दिन यानी दिनांक 30-11-2003 को तैयार की गई जांच (प्रदर्श-पी/4) और शव परीक्षण रिपोर्ट में मृतिका धनमती बाई का नाम दर्ज है, जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि मृतिका का नाम जांच (प्रदर्श-पी/4) और मर्ग की सूचना (प्रदर्श-पी/12) में कैसे आया, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शव केवल कंकाल था और जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उसकी पहचान नहीं की जा सकती थी।





19. इसके अलावा, यह अत्यंत असंभव है कि कथित केरोसिन की एक बोतल लगभग नौ महीने की इतनी लंबी अवधि तक खुले स्थान पर सुरक्षित और संरक्षित पाई गई हो। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि केरोसिन तेल की ज़ब्ती को (अ.सा.-2) रामकुसाई और (अ.सा.-4) हरि ओम के साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया गया था। गवाह क्रमांक 2 रामकुसाई पक्षद्रोही को और (अ.सा.-4) हरि ओम ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपीलार्थी के बैग में रखी वस्तुओं को नहीं देखा था। इस प्रकार, अपीलार्थी के कब्जे से केरोसिन तेल की ज़ब्ती भी व्यर्थ हो जाती है और विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती।
20. इस मामले में चर्चा के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू हत्या का मकसद है। इस संबंध में, मृतिका की माता मंगली बाई (अ.सा.-1) का बयान उल्लेखनीय है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि अपीलार्थी और मृतिका के बीच प्रेम विवाह हुआ था और वे सुखी एवं शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। (अ.सा.-9) सोमरसाय और (अ.सा.-10) रामेश्वर के बयानों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के बदेसालही, केतमा और कोरबा गांवों में घर थे। वह मृतिका के साथ उपर्युक्त स्थानों पर स्थित अपने घरों में जाया करता था। इसलिए, घटना स्थल से फरार होने मात्र के आधार पर अपीलार्थी को बिना किसी आशय के पत्नी की हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
21. साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि कथित शव धनमत बाई का था, और इस प्रकार शव परीक्षण रिपोर्ट भी असंगत हो जाती है क्योंकि मामले में आंतरिक अंगों या अन्य जब्त वस्तुओं के बारे में कोई एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी। अभियोजन पक्ष उपरोक्त चर्चा के अनुसार ठोस और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर 'अंतिम बार साथ देखे जाने' के सिद्धांत को भी साबित करने में विफल रहा।





22. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की गहन जांच और मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी ठहराते और दण्डित करते समय मामले के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार नहीं किया और इस प्रकार अवैधता की हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की हत्या की है।
23. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को दोनों आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी हिरासत में है और यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाए।



सही/-

High Court of Chhattisgarh

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

सही/-

आर.एन.चंद्राकर

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**